GOVT. SR. SEC. SCHOOL
BHAWARNA

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला

भवारना, तह. पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि. प्र.)

विवरणिका
PROSPECTUS

Session : 20.25... - 20.26...

सत्यमेव जयते

Message

As the Principal of Govt. Senior Secondary School Bhawarna, I feel honoured and privileged to be a part of an educational institution where every stakeholder is a learner and every day is an opportunity to learn and discover.

We look at ourselves as a community of learners, where everyone learns including our teachers, parents & staff.

Ajay Bhatia
Principal
Govt. Sr. Sec. School
Bhawarna

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भवारना
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176 083

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भवारना की स्थापना सन् 1925 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई तथा 1936 में यह माध्यमिक विद्यालय बना। 1951 में डी. ए. वी. संस्था ने स्तरोन्नत कर इसे उच्च विद्यालय के रूप में चलाया व सन् 1964 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया।

सन् 1997 में इसे स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया। यह विद्यालय कुशल शिक्षक वर्ग एवं समुचित शिक्षा के वातावरण से परिपूर्ण है व यहां भावी पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे चित्रकला, नारा लेखन, बाल विज्ञान मेले में भागीदारी व खेलकूद प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है।

Detail of Working Staff of GSSS Bhawarna

Sr. No.	Name of Official	Designation
	Teaching Staff	
1	Sh. Ajay Bhatia	Principal
2	Sh. Vikas Sharma	Lecturer Commerce
3	Sh. Ajay Singh	Lecturer Chemistry
4	Smt. Jaya Guleria	Lecturer English
5	Smt. Mahima Sharma	Lecturer English
6	Smt. Seema Sharma	Lecturer Economics
7	Sh. Sushil Kumar	Lecturer Math
8	Sh. Ravinder Kumar	Lecturer Physics
9	Smt. Alka Sood	Lecturer Hindi
10	Sh. Rohit Chauhan	Lecturer Comp. Sci.
11	Sh. Rajesh Kumar	Lecturer History
12	Sh. Avtar Chand	Lecturer Commerce
13	Smt. Savita Kumari	Lecturer Pol. Science
14	Sh. Pankaj Sharma	Lecturer Biology
15	Sh. Neeraj Sood	DPE
16	Smt. Rakhi Sharma	TGT Medical
17	Sh. Dinesh Pathania	TGT Non-Medical
18	Sh. Dheeraj Kumar	TGT Arts
19	Smt. Nishi Thakur	TGT Arts

20	Smt. Seema Sood	OT
21	Smt. Babli Sharma	LT
22	Sh. Vinay Kumar	DM
23	Sh. Pawan Patiyal	Sr. IT Faculty
24	Smt. Dipika Guleria	VT B&W

Non Teaching Staff

1	Sh. Pritam Chand	Supdt. G II
2	Smt. Vanita Sharma	Clerk
3	Sh. Kuldeep Thakur	LA
4	Sh. Surinder Kumar	LA
5	Sh. Sandeep Kumar	LA
6	Smt. Asha Devi	Peon
7	Smt. Sapna Devi	Peon
8	Smt. Meera Devi	Peon
9	Smt. Seema Devi	Water Carrier
10	Smt. Nirmla	Sweeper
11	Smt. Chameli	MDM Worker
12	Smt. Ruchi Devi	MDM Worker

FEE Structure

1 Annual Charges (Govt. Money) +1 & +2

a) Admission Fee = Rs. 10.00
b) Re. Ad. Fee = Rs. 10.00
c) School Leaving Certificate = Rs. 05.00

2 Monthly Charges

a) Tuition Fee (Only for boys) = Rs. 15.00
b) Late Admission Fee = Rs. 10.00 for 20 days

3 Funds (Annual)

a) Magazine Fund = Rs. 40.00
b) I-Card Fund = Rs. 10.00
c) Furniture Repair Fund = Rs. 05.00
d) Cultural Activity Fund = Rs. 05.00
e) Library Security = Rs. 30.00
f) Exam Fund (Quarterly) = Rs. 25.00 each Qtrs
Rs. 100.00 Yearly

4 Funds Monthly

a) Amalgamated Fund = Rs. 15.00
b) Building Fund = Rs. 10.00
c) Practical Subject Fund
(i) Physics = Rs. 10.00
(ii) Chemistry = Rs. 10.00
(iii) Biology = Rs. 10.00
(iv) Music = Rs. 10.00
(v) Physical Education = Rs. 10.00
d) N.C.C. Fund = Rs. 01.00
e) Absence Fine = Rs. 01.00 (per period)
f) Scout & Guide = Rs. 03.00
g) Sports Fund = Rs. 03.00
h) Computer Fee (Optional) = Rs. 110.00 (per month)

प्रवेश एवं स्थानांतरण नियम :- (Admission & Migration)

1. अत्यावश्यक माता/पिता में से किसी एक की उपस्थिति में ही प्रवेश प्रक्रिया में छात्र/छात्रा को प्रवेश मिलेगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में स्थान व्यवस्था सीमित होने के कारण प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही होगा, जिसके लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता शर्तें पूरी करना भी अनिवार्य है।
3. प्रवेश समिति की सिफारिश पर ही प्रवेश मिलेगा।
4. अन्य संस्थाओं के निष्कासित विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. प्राचार्य को यह पूरा अधिकार है कि वह बिना कारण बताये ही किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निषेध या रद्द कर सकते हैं।
6. प्रवेश फार्म पूर्ण रूप से भरकर निम्नलिखित प्रलेखों **(Documents)** के साथ देना होगा।

(क) अन्त में छोड़े संस्थान से लिया गया चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि छः महीने के भीतर जारी किया गया हो, यदि संस्था को छोड़े हुए छः मास से अधिक समय हो चुका हो, तो चरित्र प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ख) पिछली परीक्षाओं के अंक विवरण कार्ड **(Detail Mark Sheet)** की सत्यापित प्रतिलिपि।

या

छोड़े गये संस्थान द्वारा जारी किए गये पिछली कक्षा के पास होने के अस्थाई **(Provisional)** प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ग) दसवीं कक्षा पास होने के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो। (+2 कक्षा के लिए)

(घ) यदि कोई विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के

अतिरिक्त किसी अन्य स्कूल से स्थानान्तरित हो रहा हो उसे स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) एवं समानता प्रमाण पत्र (Equivalence Certificate) जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) आधार कार्ड़ की प्रतिलिपि।

प्रवेश पात्रता (Admission Eligibility)

1. कोई भी विद्यार्थी जिसने प्रथम अप्रैल 2023 को 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो, उसे +1/+2 में प्रवेश नहीं मिलेगा। (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है।
2. +1 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए 10वीं कक्षा में न्यूनतम पास अंक इस प्रकार होने चाहिएः–
   क) विज्ञान संकाय के लिए 10वीं में 50 प्रतिशत।
   ख) वाणिज्य संकाय के लिए 10वीं में 45 प्रतिशत।
   ग) कला संकाय में उत्तीर्ण विद्यार्थी।
3. जो विद्यार्थी एक कक्षा में दो (या इससे अधिक) बार फेल हो चुका हो, उसे विद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा।
4. सभी प्रवेश या अन्य नियमों में हि. प्र. सरकार या हि. प्र. बोर्ड के निर्देशानुसार परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है।
5. यदि कोई विद्यार्थी गलत सूचनाएं देकर एवं तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेता है और बाद में विद्यालय या बोर्ड उसे दोषी घोषित करता है तो उस छात्र का प्रवेश रद्द समझा जाएगा तथा वह दण्डनीय प्रक्रिया हेतु इसके लिए उत्तरदायी होगा।

प्रवेश प्रक्रियाः-

1. प्रवेश एवं स्थानान्तरण नियम प्रवेश पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. मूल प्रमाण पत्र (Original Cerificate) अवश्य लायें।
3. आपेक्षित दस्तावेजों (Required Documents) की अनुप्रमाणित प्रतियां (Attested Copies) को योग्यता क्रमानुसार प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करें।
4. एक पासपोर्ट आकार के छायाचित्र (Passport size photograph) को प्रवेश पत्र पर चिपकायें।
5. प्रवेश पत्र, प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी स्वयं भरें।
6. विद्यार्थी प्रवेश के समय अपने माता या पिता को अवश्य साथ लायें, अन्य बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में न लाएं। अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।
7. प्रवेश पत्र पर सही व पूर्ण सूचनाएं देकर सर्वप्रथम विद्यार्थी को प्रवेश समिति के समक्ष तत्पश्चात् प्राचार्य की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर के तुरन्त बाद उसी दिन फीस काउंटर पर देय राशि जमा करवाएं अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जाएगा।
8. आधार कार्ड़ की प्रतिलिपि प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करें।

विद्यालय के देय (School Dues):-

1. बारह महीने (अप्रैल से मार्च तक) का शुल्क 4 किश्तों में लिया जाएगा। जो विद्यार्थी अग्रिम देय नहीं दे पाता उसका नाम स्वतः ही कटा हुआ समझा जायेगा।
2. विद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के भीतर विद्यार्थी पुस्तकालय प्रतिभूति (Library Security) ले सकता है, इस समय सीमा के पश्चात् वह इसे प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

जुर्मानाः-

1. एक कालावधि (Period) में अनुपस्थिति जुर्माना 1 रूपये।
2. पूरा दिन का अनुपस्थित रहने का जुर्माना 9.00रूपये।

नोटः– विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर विद्यालय अनुशासन समिति द्वारा की गई सिफारिश एवं प्राचार्य के अनुमोदन पर या नाम काटने की स्थिति में पुनः प्रवेश के लिए विशेष जुर्माना किया जायेगा।

किसी भी छात्रवृत्ति का पात्र विद्यार्थी तभी माना जायेगा, जब उसने पिछली कक्षा पूर्णतः पास की हो। कम्पार्टमैंट वाला विद्यार्थी छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा।

परीक्षाएं एवं व्याख्यान उपस्थिति (Exam. & Lecturer Attendance)

1. विद्यालय प्रतिवर्ष अगस्त/दिसम्बर में गृह परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को बैठना अनिवार्य है। तथा Monthly Test Pre Board लिए जाते हैं।
2. वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कुल व्याख्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति वांछित है। उपस्थिति उसी दिन से गिनी जायेगी जिस दिन से नियमित कक्षाएं प्रारम्भ होगी। परीक्षा फार्म केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जायेगा जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत होगी।

अवकाश नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को हर स्थिति में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र यथासमय भेजना होगा।
2. दो दिन तक का अवकाश स्वीकृत करने के लिए संकाय का वरिष्ठ प्राध्यापक सक्षम होगा।
3. दो दिन से ज्यादा और छः दिनों तक के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रभारी प्राध्यापक (Tutor) से संस्तुत (Recommend) करवाकर प्राचार्य से स्वीकृत करवाना होगा।
4. छः दिन से अधिक का अवकाश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। बीमारी की दशा में यदि छः दिनों से अधिक छुट्टी लेनी पड़ी तो चिकित्सक का प्रमाण पत्र (Medical Certificate) तथा अस्पताल की पर्ची की छायाप्रति (Photostat) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. जो विद्यार्थी अनियमित रहता है या लगातार 10 दिन तक बिना अवकाश लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, उसका नाम विद्यालय रजिस्टर से काट दिया जायेगा।
6. विद्यार्थी तब तक देय सभी (Dues) और जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है जब तक उसका नाम औपचारिक रूप से विद्यालय रजिस्टर से हटाया नहीं जाता।
7. किसी भी आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी को (अनुशासन समिति के सुझाव पर या प्राचार्य अपने अधिकार के आधार पर) विद्यालय से निष्कासित कर सकता है।

विद्यालय पत्रिका (School Magazine)

विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास हेतु विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा। लेखन कार्य में रूचि रखने वाले विद्यार्थी विभिन्न अनुभागों के प्राध्यापक संपादकों के पास निर्धारित समयावधि के रहते हुए अपने लेख दे सकते हैं।

विशिष्ट विशेषताएं:-

छात्रों की छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने के लिए समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। NTSE, NSS, NCC, Scouts & Guide का भी आयोजन किया जाता है। प्री-बोर्ड परीक्षाओं का भी प्रावधान है। मेधावी छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं।

Documents Required at the time of admission

1. SLC/character/DOB Certificate
2. Aadhar Card
3. Acc. Pass Book Photo Copy
4. Category Certificate
5. Photograph

Provisional/Regular

Admission No.: .... Receipt No. .... Roll No. ....

Government Senior Secondary School, Bhawarna

Teh. Palampur, Distt. Kangra (H. P.)

Admission Form (+1, +2), 20....... - ....

1. Class : .... Session ....
2. Name of Student (Capital Letters) : ....
3. Father's Name (Capital Letters) : ....
4. Mother's Name (Capital Letters) : ....
5. Date of Birth (in figures) : .... (in words ....
6. Permanent Address : ....

   Ph. No. .... Pin Code : .... Male/Female : ....
7. Correspondence Address : ....

   .... Aadhar No. ....
8. Father's Occupation : ....
9. Category (Gen/SC/ST/OBC) : .... Whether IRDP/BPL ☐
10. Educational Qualification :

Name of School	Exam Passed	Year	Subject	M. Marks	Marks obtained	%age

11. Stream (Science/Arts/Commerce) : .... Subject : 1 English

    2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
12. Achievement in extra curricular activities: ....

DECLARATION

I declare that the particulars given above are correct to the best of my knowledge.

Signature of Parents/Guardian

Signature of Applicant

Date: ....

Signature of Admission Committee:

1.

2.

3.

Principal
GSSS Bhawarna

स्वीकृति-पत्र

1. यदि कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की गतिविधि में संलिप्त पाया गया तो उसे एक बार अवसर दिया जाएगा तथा दूसरी बार विद्यालय से नाम काट दिया जाएगा।
2. मोबाईल फोन का प्रयोग विद्यालय में पूर्णतः निषेद्ध है। यदि किसी विद्यार्थी के पास मोबाईल फोन पाया गया तो उसे पूरे सत्र के लिए ज़ब्त कर लिया जाएगा।
3. विद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति सहन नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में क्षति का पूरा मूल्य दोषी छात्र/छात्रा को वहन करना होगा।
4. समय का अनुपालन तथा यूनिफॉर्म (उचित वर्दी) में छात्र/छात्रा को विद्यालय में आना अत्यन्त अनिवार्य समझा जाए।
5. माह में कम से कम एक बार अपनी सुविधा के अनुसार माता या पिता को विद्यालय में आकर अपने पुत्र/पुत्री की पढ़ाई के विषय में अध्यापकों से मिलना अनिवार्य है।
6. कोई भी छात्र/छात्रा विद्यालय में स्कूटी या बाईक आदि लेकर नहीं आएगा।
7. आधे दिन की छुट्टी किसी भी छात्र/छात्रा को नहीं दी जाएगी। छुट्टी तभी मिलेगी जब उसके माता–पिता विद्यालय में स्वयं आएंगे।

माता का मोबाईल नं. (Whatsapp No.)/हस्ताक्षर : ....

पिता का मोबाईल नं. (Whatsapp No.)/हस्ताक्षर : ....

घर का अन्य फोन न. : ....

निवास का पूरा पता : ....

....

....

8. बैंक का नाम .... खाता संख्या .... आई. एफ. एस. कोड ....
9. लगातार अनुपस्थित रहने पर नाम काट दिया जाएगा और दोबारा दाखिल होने का अवसर प्रदान नहीं होगा।
9. प्रत्येक पीरियड में उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा एक ही पीरियड की अनुपस्थिति का अवलोकन करके नाम काट दिया जाएगा।